

NHB (ND)/ROD/ HFC/Refinance Circular 03/2021
December 16, 2021



All Eligible Housing Finance Institutions

Madam / Sir

Refinance Circular No. 03/2021-22 - Quarterly Certificate on Adverse Balance

As per the existing guidelines, the MD, and CFO of the Housing Finance Company (HFC) availing refinance from NHB shall furnish a Quarterly Certificate of Adverse Balance (NHB-HFC-10), within fifteen calendar days after the end of the quarter, stating that the total outstanding of the loans flagged as security to NHB is in conformity with the sanctioned terms. On occurrence of any adverse balance, the adverse balance shall be paid by respective HFC to NHB along with the said Certificate confirming that the amount under adverse balance has been remitted.

2. It has come to the attention of the Bank, the operational difficulties of the Companies in submitting the Quarterly Certificate of Adverse Balance and remittance of Adverse Balance within fifteen days after the end of the quarter.

3. Accordingly, it may hereby be noted that the Quarterly Certificate of Adverse Balance (NHB-HFC-10), be submitted within fifteen calendar days after the end of the quarter and the Adverse Balance amount, if any, calculated vide NHB-HFC-10 for the respective quarter may be remitted by end of month of the succeeding month of the reporting quarter.

For eg. For June quarter, the remittance maybe made by July 31.

4. The HFCs are also requested to provide a two day notice prior to the remittance of the adverse balance.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(Vishal Goyal)

General Manager

Refinance Operations Department

रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी /आ.वि.कं./पुनर्वित्त परिपत्र 03/2021
16 दिसंबर, 2021

सभी पात्र आवास वित्त संस्थाएं,

महोदया/महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र संख्या 03/2021-22 - प्रतिकूल शेष राशि पर तिमाही प्रमाणपत्र

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने वाली आवास वित्त कंपनी (आ.वि.कं.) के प्रबंध निदेशक, एवं मुख्य वित्त अधिकारी तिमाही समाप्ति के बाद पंद्रह कैलेंडर दिवसों के भीतर प्रतिकूल शेष राशि (रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-10) का तिमाही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि कुल बकाया रा.आ.बैंक को प्रतिभूति के रूप में चिह्नित ऋण संस्वीकृत शर्तों के अनुरूप है। कोई भी प्रतिकूल शेष होने पर, प्रतिकूल शेष राशि का भुगतान संबंधित आवास वित्त कंपनी द्वारा रा.आ.बैंक को उक्त प्रमाण पत्र के साथ किया जाएगा जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि प्रतिकूल शेष राशि के तहत राशि विप्रेषित कर दी गई है।

2. तिमाही समाप्ति के बाद पंद्रह दिवसों के भीतर प्रतिकूल शेष राशि का तिमाही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना तथा प्रतिकूल शेष राशि के विप्रेषण के संबंध में कंपनियों की परिचलनात्मक कठिनाईयां बैंक के संज्ञान में आई है।

3. इसलिए, एतद्वारा यह नोट किया जाए कि प्रतिकूल शेष राशि (रा.आ.बैंक- आ.वि.कं.-10) का तिमाही प्रमाणपत्र तिमाही समाप्ति के बाद पंद्रह कैलेंडर दिवसों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए एवं संबंधित तिमाही के लिए रा.आ.बैंक-आ.वि.कं.-10 के द्वारा गणना की गई प्रतिकूल शेष राशि, यदि कोई हो, तो वह रिपोर्टिंग तिमाही के आगामी माह के अंत तक विप्रेषित की जा सकती है।

उदाहरण के तौर पर, जून तिमाही हेतु विप्रेषण दिनांक 31 जुलाई तक किया जा सकता है।

4. आवास वित्त कंपनियों से यह भी अनुरोध है कि प्रतिकूल शेष राशि, यदि कोई हो, के विप्रेषण से पहले दो दिन का नोटिस प्रदान करने का कष्ट करें।

कृपया पावती देने का कष्ट करें।

भवदीय,


(विशाल गोयल)

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन विभाग